



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, अक्टूबर 13—अक्टूबर 19, 2013, शनिवार/आश्विन 21—आश्विन 27, 1935
No. 24] NEW DELHI, OCTOBER 13—OCTOBER 19, 2013, SATURDAY/ASVINA 21—ASVINA 27, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय (सेक्शन मास्टर, समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2004 और राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय (मास्टर) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय, देहरादून में सेक्शन मास्टर और मास्टर समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचितविय के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय, देहरादून (सेक्शन मास्टर और मास्टर), भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सेक्शन मास्टर	05* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसे मास्टर, जिन्होंने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : सेक्शन मास्टर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर मास्टर के पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष बनी रहेगी ।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह

(11)

तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

1. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण (सिविलियन) —सदस्य
3. महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण से निदेशक या कर्नल या उसके समतुल्य सिविलियन —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मास्टर	15* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक। टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के

(6)		
		लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
(7)	(8)	(9)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	एक वर्ष
1. कम्प्यूटर विज्ञान की विद्या के सिवाय सभी विद्याओं के लिए : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (भर्ती के समय उपदर्शित किया जाए) में मास्टर डिग्री, (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से शिक्षण में उपाधि, (ग) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या शैक्षिक संस्था से सुसंगत विषय में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।		
2. केवल कम्प्यूटर विज्ञान की विद्या के लिए : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बी.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) से हो । (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान का तीन वर्ष का शिक्षण का अनुभव ।		
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।		
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है । जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।		
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
(12)	(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :— 1. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।	
		—अध्यक्ष

(12)

2. उप महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण (सिविलियन) —सदस्य
 3. महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण से निदेशक या कर्नल या उसके समतुल्य सिविलियन —सदस्य

[फा. सं. 46221/भर्ती नियम/टीएस/आरआईएमसी/जीएस/एमटी-7/413/2013/रक्षा (नियुक्तियाँ)]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th September, 2013

S.R.O. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Rashtriya Indian Military College (Section Master Group 'A' Gazetted) Recruitment Rules, 2004 and the Rashtriya Indian Military College (Master) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Section Master and Master, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in Rashtriya Indian Military College, Dehradun under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Rashtriya Indian Military College, Dehradun (Section Master and Master) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and after consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Section Master	05* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	One year
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		
(10)	(11)	
By promotion	<p>Promotion : Masters in the Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note 1 : The eligibility service for promotion to the post of Section Master shall continue to be two years for persons holding the feeder posts of Master on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
(12)	(13)	
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :</p> <p>1. Joint Secretary, Ministry of Defence —Chairman</p> <p>2. Deputy Director General Military Training (Civilian) —Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

(12)

3. Director or Colonel or Civilian equivalent —Member
from Director General Military Training

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Master	15* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹ 15600— 39100 plus Grade Pay of ₹ 5400	Not applicable	Not exceeding 35 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : 1. For all disciplines, except the discipline of Computer Science: (a) Master's Degree in the respective subject (to be indicated at the time of recruitment) from a recognised University; (b) Degree in teaching from a recognised University or Institution. (c) Three years' teaching experience in relevant subject in a recognised school or educational institution. 2. For the discipline of Computer Science only: (a) (i) Master's Degree in Computer Science from a recognised university; or (ii) Master's Degree in Mathematics or Science with B. Sc (Computer Science) from a recognised university. (b) Three years' teaching experience in Computer Science in a recognised school or educational	Not applicable	One year

(7)

institution.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Joint Secretary, Ministry of Defence —Chairman 2. Deputy Director General Military Training (Civilian) —Member 3. Director or Colonel or Civilian equivalent from Director General Military Training —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. 46221/RR/TS/RIMC/GS/MT-7/413/2013/D (Appts)]
DALPAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक विधि सहायक भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में विधि सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन (विधिक सहायक) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधिक सहायक	*01 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 : (9300-34800 रु. + ग्रेड

(11)

वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री

(ii) अर्हित विधि व्यवसायी के रूप में दो वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1 : इस खंड के संबंध में “अर्हित विधि व्यवसायी” से ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर अभिप्रेत है जिसने उस रूप में कम से कम 2 वर्ष व्यवसाय किया हो तथा सेवा विधियों से संबंधित मामलों का निपटारा किया हो ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में थलसेना, नौसेना या वायुसेना के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर या चीफ पेटी ऑफिसर का रैंक धारण किया हुआ है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है, और जो एक वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन हो जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति निबंधन दिए जाएंगे जिसको सशस्त्र सेना बलों से निर्मुक्त होने वाले हैं, तत्पश्चात्वे पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहेंगे । यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी । (सिविल पद की बाबत पुनर्नियोजन अधिवाषिंता की आयु तक पुनर्नियोजन)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्न-लिखित होंगे :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. उपमहानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय —अध्यक्ष
2. मुख्य विधि अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य
3. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य

[फा. सं. सी पी/0601/विधिक सहायक/1220/डी (सीजी)/2013]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 16th September, 2013

S.R.O. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Legal Assistant Recruitment Rules, 2004, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Legal Assistant in the Coast Guard Organisation under the Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation (Legal Assistant) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Legal Assistant	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces personnel re-employed
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	
(10)	(11)	
Deputation (including short term contract) for Armed Forces Personnel : Deputation/re-employment	<p>Deputation (including short term contract)</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union territory administration or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200/- in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience: -</p> <p>(i) Degree in Law from a recognised University;</p> <p>(ii) two years experience as a qualified legal practitioner.</p> <p>Note 1 : The term "Qualified legal practitioner" in relation to this clause means an Advocate or a Pleader who has practiced as such for atleast two years and should have dealt with cases relating to service laws.</p> <p>Note 2 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	

(11)

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Armed Forces Personnel:

Deputation Re-employment : The Armed Forces personnel holding the rank of Master Chief Petty Officer or Chief Petty Officer in the Army, Navy or Air Forces in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 and possessing degree in law from a recognised University who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year shall also be considered and if selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation in respect of civil post).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

1. Deputy Director General, Coast Guard
Headquarters —Chairman
2. Chief Law Officer, Coast Guard
Headquarters —Member
3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters —Member

[F. No. CP/0601/Legal Assistant/1220/D(CG)/2013]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक, पद 'ख') भर्ती (संशोधन) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक, पद 'ख') भर्ती नियम, 2011, अनुसूची के :

(i) स्तंभ 5 में, 'लागू नहीं' शब्दों के लिए, 'गैर-चयन' शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) स्तंभ 10 में, 'चयन' शब्द के लिए जहां-जहां यह आता है उसके स्थान पर 'ज्येष्ठता' शब्द रखे जाएंगे।

(iii) स्तंभ 11 में, प्रोन्नति शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को अपने-अपने विभागीय प्रोन्नति समिति-2 में नियमित आधार पर प्रशासनिक सहायक 'क' पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक सहायक 'ख' पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा पांच वर्ष की बनी रहेगी।”

[मिसिल सं. मासविनि/76257/भर्ती नियम/प्रशासनिक सहायक, 'ख'/सी/पी/04]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 59 तारीख 27 जुलाई, 2011 को प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 11th September, 2013

S.R.O. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C'(Administrative Assistant, 'B' post) Recruitment Rules, 2011 namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011.

(i) in column 5, for the words 'Not applicable', the words 'Non-selection', shall be substituted;

(ii) in column 10, for the word 'selection' where ever it occurs the word 'seniority', shall be substituted;

(iii) in column 11, after heading 'promotion' and the entries relating thereto the following proviso may be inserted, namely:-

Provided that the eligibility service for promotion to the post of Administrative Assistant 'B' shall continue to be five years for persons holding the post of Administrative Assistant 'A' on regular basis in the respective Departmental Promotion Committee-II Group on the date of notification of these rules.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst 'B'/C/P/04]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Foot Note : The Principal rule were notified vide SRO 59 dated 27 July 2011.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, प्रोग्राम कार्यालय और सचिवालय कार्यक्रम अधिकारी, उप कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और आशुलिपिक समूह 'ख' (ज्येष्ठ व्यक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1989, जहां तक इनका संबंध, उप कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वित्त), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (साधारण), तथा कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय) के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में कार्यक्रम कार्यालय तथा सचिवालय पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, कार्यक्रम कार्यालय और सचिवालय, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप-कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति)	01* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या

(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास समन्वय, सम्पर्क, वैयक्तिक प्रबंधन के संबंध में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी परियोजनाओं के प्रबंधन का 10 वर्ष का अनुभव हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति)	01* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		
	प्रतिनियुक्ति द्वारा		प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास वैज्ञानिक या तकनीकी परियोजनाओं के प्रबंधन में समन्वय, संपर्क, वैयक्तिक प्रबंधन के संबंध में पांच वर्षों का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		
			टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के अधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसमें छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		
	(12)		(13)		
	लागू नहीं होता		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वित्त)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		
	प्रतिनियुक्ति द्वारा		<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिसने आहरण और संवितरण अधिकारी के रूप में वित्तीय नियमों और विनियमों का निर्वचन करने, बजट विश्लेषण और प्रक्षेपणों पर कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
	(12)		(13)		
	लागू नहीं होता		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक कार्यक्रम अधिकारी (साधारण)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		
	प्रतिनियुक्ति द्वारा		<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिसको गृह-प्रबंधन और साधारण प्रशासन, भंडार की खरीद, भंडार के प्रबंध, निविदाओं के जारी करने व उनको अंतिम रूप से निपटाने, दस्तावेजों, आदि में पांच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
	(12)		(13)		
	लागू नहीं होता		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		
	प्रतिनियुक्ति द्वारा		प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) प्रोटोकाल कार्यों जिसमें बैठकों, सेमिनार एवं कांफ्रेंस का आयोजन शामिल हैं, में तीन वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या (वह तारीख जिसमें छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधि कारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
	(12)		(13)		
	लागू नहीं होता		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		

[फा. सं. डी एच आर डी/16345/आर आर/पीओ/सी/पी/01]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 4 में का.नि.आ. सं. 12 दिनांक 13 जनवरी, 1986 को प्रकाशित किए गए थे। आगे जिनका स्थान का.नि.आ. सं. 66 दिनांक 18 मार्च, 1989 ने लिया तथा का.नि.आ. सं. 141 दिनांक 18 जून, 1991 द्वारा आगे संशोधित किए गए।

New Delhi, the 27th September, 2013

S.R.O. 66.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat (Programme Officer, Deputy Programme Officer, Assistant Programme Officer and Junior Programme Officer and Stenographer Grade 'B' (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1989) in so far they relates to the post of Deputy Programme Officer (Manpower), Assistant Programme Officer (Manpower), Assistant Programme Officer (Finance), Assistant Programme Officer (General) and Junior Programme Officer (Coordination) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Programme Officer and Secretariat posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Name of posts, number, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The name of post, number, their classification and the pay band, grade pay or scale of Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission; relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Programme Officer (Manpower)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 7600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method		
(10)	(11)	
By deputation	<p>Deputation : Officers under the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing ten years experience in Managing Scientific or Technical Projects in relation to Coordination, Liaisoning, Personal Management.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
(12)	(13)	
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Programme Officer (Manpower)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
By deputation			Deputation : Officers under the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing five years experience in Managing Scientific or Technical Projects in relation to Coordination, Liaisoning, Personal Management. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
	(12)		(13)		
	Not applicable		Consultation with Union Public Service Commission necessary.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Programme Officer (Finance)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
By deputation			<p>Deputation : Officers under the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing five years experience as Drawing and Disbursing Officer, interpretation of Financial Rules or Regulations, making Budgetary Analysis and Projections.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
	(12)		(13)		
	Not applicable		Consultation with Union Public Service Commission necessary.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Programme Officer (General)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
By deputation			Deputation : Officers under the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-34800 plus Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing five years experience in House Keeping and General Administration, Purchase of Stores, Managing of Stores, issuing and finalizing of tenders, documents, etc. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
	(12)		(13)		
	Not applicable		Consultation with Union Public Service Commission necessary.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Junior Programme Officer (Coordination)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
By deputation			Deputation : Officers under the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing three years experience in protocol functions including work relating to arranging Meetings, Seminars and Conferences. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the First January two thousand six (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
	(12)		(13)		
	Not applicable		Consultation with Union Public Service Commission necessary.		

[F.No. DHRD/16345/RR/PO/C/P/01]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. No. 12, dated, the 13th January, 1986. The same was further superseded vide S.R.O. No. 66, dated the 18th March 1989 and further amended vide S.R.O. No. 141, dated the 18th Jun., 1991.